सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हनुमान बनाम धुड़ाराम

16.07.2019

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील जोकि अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व जैरकार चल रही है, वादपत्र के निर्णय के अनुसरण में उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील जरिये निष्प्रभावी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार मूल वाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट निष्प्रभावी धोषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व. अपील प्राधिकारी
बीकानेर।